



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122025-268108
CG-DL-E-01122025-268108

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5304]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2025/अग्रहायण 7, 1947

No. 5304]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2025/AGRAHAYANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5485(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले में NH 748A के कि.मी. 89+900 से कि.मी.136+100 (एनएचएआई बगलकोट) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सी/ओ वेंकटेश एल बेनकट्टी, प्लॉट नंबर एल-16, सेक्टर-63ए, केन्द्रीय विद्यालय के पास, ब्रंदावन सेक्टर, नवानगर, बागलकोट-587101, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले में NH 748A के कि.मी. 89+900 से कि.मी.136+100 (एनएचएआई बगलकोट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: बेलगावी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रामदुर्ग					
गांव का नाम: बतकुरकी					
1	342/10,*	निजी	ड्राय	305.44 (वर्ग मीटर)	0.030544
गांव का नाम: तिम्मापुर एस.ए.					
2	15/*	निजी	ड्राय	322.23 (वर्ग मीटर)	0.032223
3	19/*	निजी	ड्राय	232.09 (वर्ग मीटर)	0.023209
4	23/16,*	निजी	ड्राय	365.46 (वर्ग मीटर)	0.036546
5	34/*	निजी	ड्राय	2863.36 (वर्ग मीटर)	0.286336
गांव का नाम: चेनापुर					
6	104/3,*	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (कमर्शियल)	1128.2 (वर्ग मीटर)	0.11282
7	117/3,*	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (कमर्शियल)	1011.7 (वर्ग मीटर)	0.10117
8	121/1,*	निजी	ड्राय	1031.64 (वर्ग मीटर)	0.103164
9	121/3,*	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (कमर्शियल)	2669.66 (वर्ग मीटर)	0.266966
10	136/*	निजी	ड्राय	975.65 (वर्ग मीटर)	0.097565
11	138/9,*	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (कमर्शियल)	7192.96 (वर्ग मीटर)	0.719296
12	140/3,*	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (कमर्शियल)	1698.19 (वर्ग मीटर)	0.169819
13	140/4,*	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (कमर्शियल)	8511.2 (वर्ग मीटर)	0.85112

14	140/5,6,*	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (कमर्शियल)	3294.38 (वर्ग मीटर)	0.329438
15	94/8,*	निजी	ड्राय	2335.78 (वर्ग मीटर)	0.233578
गांव का नाम: सोप्पडला					
16	78/*	निजी	ड्राय	6338.27 (वर्ग मीटर)	0.633827
17	81/*	निजी	ड्राय	712.06 (वर्ग मीटर)	0.071206
गांव का नाम: एजुड्डी					
18	103/1,*	निजी	ड्राय	259.81 (वर्ग मीटर)	0.025981
Total					4.124808

[फा. सं. NHAI/PIU-HPT/15052/LA-03/2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5485(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 748A in the stretch of land from Km. 89+900 to Km. 136+100 (NHAI Bagalkot) in the district of BELAGAVI in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Office, C/o Venkatesh L Benkatti, Plot No.L-16, Sector-63A, Near Kendriya Vidyalaya, Brundaavan Sector, Navanagr, Bagalkot-587101 in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in (Belgaum-Hungund-Raichur)NH 748A in the stretch of land from Km. 89+900 to Km. 136+100 (NHAI Bagalkot) in the district of BELAGAVI in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: BELAGAVI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ramdurg					
Village: Batakurki					
1	342/10,*	Private	Dry	305.44 (Square Meter)	0.030544
Village: Timmapur S.A.					

2	15/*	Private	Dry	322.23 (Square Meter)	0.032223
3	19/*	Private	Dry	232.09 (Square Meter)	0.023209
4	23/16,*	Private	Dry	365.46 (Square Meter)	0.036546
5	34/*	Private	Dry	2863.36 (Square Meter)	0.286336
Village: Chennapur					
6	104/3,*	Private	Non Agriculture (COMMERCIAL)	1128.2 (Square Meter)	0.11282
7	117/3,*	Private	Non Agriculture (COMMERCIAL)	1011.7 (Square Meter)	0.10117
8	121/1,*	Private	Dry	1031.64 (Square Meter)	0.103164
9	121/3,*	Private	Non Agriculture (Commercial)	2669.66 (Square Meter)	0.266966
10	136/*	Private	Dry	975.65 (Square Meter)	0.097565
11	138/9,*	Private	Non Agriculture (COMMERCIAL)	7192.96 (Square Meter)	0.719296
12	140/3,*	Private	Non Agriculture (COMMERCIAL)	1698.19 (Square Meter)	0.169819
13	140/4,*	Private	Non Agriculture (Commercial)	8511.2 (Square Meter)	0.85112
14	140/5,6,*	Private	Non Agriculture (COMMERCIAL)	3294.38 (Square Meter)	0.329438
15	94/8,*	Private	Dry	2335.78 (Square Meter)	0.233578
Village: Soppadla					
16	78/*	Private	Dry	6338.27 (Square Meter)	0.633827
17	81/*	Private	Dry	712.06 (Square Meter)	0.071206
Village: Aneguddi					
18	103/1,*	Private	Dry	259.81 (Square Meter)	0.025981
Total					4.124808

[F. No NHAI/PIU-HPT/15052/LA-03/2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director